Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

# पंचायती राज व्यवस्था में नागरिक सहभागिता की चुनौतियाँ: सामाजिक एवं आर्थिक आयामों का अध्ययन

**डॉ. प्रदीप कुमार* डॉ. अरविन्द सिरोही****

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इंदौर (म.प्र.) भारत
** सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

**शोध सारांश –** पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को स्थानीय शासन एवं विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी बनाना है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना तथा पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान उनके समक्ष आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना है। अध्ययन मेरठ जनपद में किया गया, जहाँ से कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिनमें 96 महिलाएँ तथा 104 पुरुष सम्मिलित थे। अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रारूप का उपयोग किया गया तथा प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पंचायत गतिविधियों में उनकी सहभागिता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उच्च शिक्षा, बेहतर आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा वाले उत्तरदाता पंचायत कार्यों में अधिक सक्रिय पाए गए। इसके विपरीत निम्न आय वर्ग, कम शिक्षित तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों की सहभागिता अपेक्षाकृत कम रही। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि पंचायत में प्रवेश एवं प्रभावी सहभागिता के मार्ग में आर्थिक संसाधनों की कमी, चुनावी व्यय, राजनीतिक अनुभव का अभाव, प्रशासनिक जानकारी की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह, जातिगत भेदभाव तथा स्थानीय प्रभावशाली समूहों का दबाव प्रमुख बाधाओं के रूप में विद्यमान हैं। महिला उत्तरदाताओं को विशेष रूप से पारिवारिक प्रतिबंधों, लैंगिक असमानता तथा सीमित राजनीतिक अवसरों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन निष्कर्षत: यह दर्शाता है कि पंचायतों में प्रभावी एवं समावेशी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व विकास, आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है। पंचायतों में सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी स्थानीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं विकासोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

**शब्द कुंजी –** पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पंचायत सहभागिता, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्थानीय शासन, राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक बाधाएँ।

**प्रस्तावना –** भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ लोकतंत्र की सफलता केवल संसद, विधानसभाओं अथवा प्रशासनिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता पर भी निर्भर करती है। लोकतंत्र की वास्तविक भावना तभी साकार होती है जब आम नागरिक शासन एवं विकास की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन की आधारभूत इकाई के रूप में विकसित किया गया। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण जनता को अपने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान करने, विकास योजनाओं के निर्माण में भाग लेने तथा उनके क्रियान्वयन की निगरानी करने का अवसर प्रदान करती हैं। स्थानीय शासन की यह व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करती है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शासन की शक्ति का विकेन्द्रीकरण होता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भूमिका सुदृढ़ होती है। इस प्रकार पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी साधन भी हैं। (मैडिक[1], 1963)

भारत में पंचायतों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था तथा सामुदायिक विकास की महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में कार्य करती रही हैं। भारतीय ग्रामों को आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में देखा जाता था, जहाँ सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का संचालन सामूहिक निर्णयों के आधार पर किया जाता था। ग्राम पंचायतें स्थानीय विवादों के समाधान, संसाधनों के प्रबंधन तथा सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। अनेक इतिहासकारों ने भारतीय ग्राम व्यवस्था को लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रारम्भिक स्वरूप माना है। हालांकि औपनिवेशिक शासन के दौरान पंचायतों की स्वायत्तता कमजोर हुई, फिर भी ग्रामीण समाज में उनकी सामाजिक उपयोगिता बनी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय नीति-निर्माताओं ने पंचायतों को पुनर्जीवित करने तथा ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने का प्रयास किया। (अल्तेकर[2], 1958)

स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने तथा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न समितियों का गठन

किया गया। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का आधार माना तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। समिति के अनुसार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता स्थानीय जनता की सहभागिता पर निर्भर करती है। समिति ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया, जिसे बाद में विभिन्न राज्यों में लागू किया गया। इस समिति की सिफारिशों ने भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला रखी तथा स्थानीय स्वशासन को नई दिशा प्रदान की। (बलवंत राय मेहता[3], 1957)

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करने की दिशा में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुआ। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए उन्हें स्थानीय शासन की स्थायी संस्थाओं के रूप में मान्यता दी। इसके अंतर्गत पंचायतों के नियमित चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना तथा विकास प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। परिणामस्वरूप पंचायतों की भूमिका केवल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित न रहकर स्थानीय शासन एवं नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण हो गई। (जॉर्ज मैथ्यू[4], 1994)

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक सहभागिता को सुशासन की आधारशिला माना जाता है। पंचायतें ग्रामीण समुदायों को शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुरूप विकास योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण नागरिक न केवल अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जनभागीदारी को भी सुदृढ़ करते हैं। जब स्थानीय समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है, तब विकास योजनाओं की प्रभावशीलता एवं स्वीकार्यता दोनों में वृद्धि होती है। इस प्रकार पंचायतें लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कार्य करती हैं। (क्रूक एवं मैनर[5], 1998)

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना विविधताओं एवं असमानताओं से परिपूर्ण है। जाति, वर्ग, लिंग, धर्म तथा आर्थिक स्थिति जैसे कारक सामाजिक अवसरों और राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं। पंचायतों में भी इन कारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सामाजिक रूप से प्रभावशाली वर्गों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि कमजोर एवं वंचित वर्गों को निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों और वे शासन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। (एम. एन. श्रीनिवास,[6] 1966)

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक विकास का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने लाखों महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रवेश का अवसर प्रदान किया। इससे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई तथा उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को अधिक प्राथमिकता देती हैं। (बीना अग्रवाल[7], 2001)

यद्यपि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्राप्त है, फिर भी उनकी प्रभावी भागीदारी अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं से प्रभावित होती है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा का निम्न स्तर, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक अनुभव की कमी तथा पारिवारिक प्रतिबंध महिलाओं की सक्रिय भूमिका को सीमित करते हैं। कई मामलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति अथवा अन्य पुरुष परिजन निर्णय लेते हैं, जिससे महिलाओं का वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण बाधित होता है। इसलिए केवल आरक्षण प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण, राजनीतिक शिक्षा तथा सामाजिक समर्थन भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (निर्मला बुच[8], 2000)

पंचायतों में सहभागिता को आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के पास चुनाव लड़ने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने तथा सामाजिक नेटवर्क विकसित करने के अधिक अवसर होते हैं। इसके विपरीत निम्न आय वर्ग के लोगों को संसाधनों की कमी, समयाभाव तथा आर्थिक असुरक्षा के कारण राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने में कठिनाई होती है। आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है और कमजोर वर्गों की आवाज को सीमित कर सकती है। इसलिए समावेशी लोकतंत्र के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को भी आवश्यक माना जाता है। (बार्धन एवं मुखर्जी,[9] 2006)

वर्तमान अध्ययन पंचायतों में नागरिक सहभागिता के सामाजिक एवं आर्थिक आयामों को समझने का प्रयास करता है। अध्ययन विशेष रूप से उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि तथा पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान उनके समक्ष आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करता है। अध्ययन में 200 उत्तरदाताओं, जिनमें 96 महिलाएँ एवं 104 पुरुष शामिल हैं, से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पंचायत सहभागिता की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन स्थानीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रदान कर सकता है। (दीपा नारायण,[10] 2005)

**अध्ययन के उद्देश्य-** प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में नागरिकों की सहभागिता को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना तथा पंचायत में प्रवेश एवं सक्रिय भागीदारी के दौरान उनके समक्ष आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को समझना है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है, जिसके माध्यम से ग्रामीण नागरिक स्थानीय शासन और विकास प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है तथा विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, फिर भी सभी नागरिकों की सहभागिता समान रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाती। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ व्यक्तियों की भागीदारी को प्रभावित करती हैं। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन

के दो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

**1. उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना:** किसी भी समाज में व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि उनके व्यवहार, दृष्टिकोण, अवसरों तथा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। पंचायतों में सहभागिता भी इससे अछूती नहीं है। सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, परिवार का प्रकार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे तत्व आते हैं, जबकि आर्थिक पृष्ठभूमि में आय, व्यवसाय, भूमि स्वामित्व, आवासीय स्थिति तथा संसाधनों की उपलब्धता को शामिल किया जाता है।

पंचायतों में प्रभावी भागीदारी के लिए केवल राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं होते, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और आर्थिक संसाधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त, आर्थिक रूप से सक्षम तथा सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति पंचायत की गतिविधियों में अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं, जबकि कमजोर एवं वंचित वर्गों के लोग अनेक सीमाओं का सामना करते हैं। इसलिए उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन पंचायत सहभागिता की प्रकृति और स्तर को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस उद्देश्य के अंतर्गत अध्ययन में शामिल 200 उत्तरदाताओं की सामाजिक विशेषताओं जैसे लिंग, आयु, जाति, धर्म, शिक्षा, पारिवारिक संरचना तथा वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति, आय के स्रोत, व्यवसाय, भूमि स्वामित्व तथा आर्थिक संसाधनों का भी अध्ययन किया जाएगा। यह जानकारी इस बात को समझने में सहायता करेगी कि सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ पंचायत में भागीदारी को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

सामाजिक विज्ञान के अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि सामाजिक असमानताएँ राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। जाति व्यवस्था, वर्ग विभाजन तथा लैंगिक असमानता जैसे कारक व्यक्तियों के अवसरों और प्रतिनिधित्व को निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में सामाजिक स्थिति पंचायतों में नेतृत्व और निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसलिए उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन पंचायत व्यवस्था में विद्यमान असमानताओं और अवसरों को समझने का आधार प्रदान करता है। (एम. एन. श्रीनिवास[6], 1966)

इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिति भी पंचायतों में सहभागिता की प्रकृति को प्रभावित करती है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने, प्रचार-प्रसार करने तथा सामाजिक नेटवर्क विकसित करने में अधिक सक्षम होते हैं। दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए पंचायत गतिविधियों में निरंतर भागीदारी करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसलिए यह उद्देश्य पंचायत सहभागिता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मध्य संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। (बार्धन एवं मुखर्जी,[9] 2006)

**2. पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान उत्तरदाताओं के समक्ष आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना:** लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर अनेक बाधाएँ और चुनौतियाँ इस भागीदारी को प्रभावित करती हैं। पंचायतों में प्रवेश तथा सक्रिय सहभागिता की प्रक्रिया भी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। इसलिए इस अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्तरदाताओं के समक्ष आने वाली इन बाधाओं एवं चुनौतियों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति पंचायतों की गतिविधियों में रुचि रखने के बावजूद विभिन्न कारणों से सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाते। सामाजिक स्तर पर जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी तथा रूढ़िवादी मान्यताएँ सहभागिता में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। विशेष रूप से महिलाओं को पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, घरेलू उत्तरदायित्वों तथा सामाजिक नियंत्रण के कारण पंचायतों में प्रभावी भूमिका निभाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। (निर्मला बुच,[8] 2000)

आर्थिक स्तर पर सीमित आय, संसाधनों की कमी तथा चुनावी खर्च का बोझपंचायतों में प्रवेश की संभावनाओं को प्रभावित करता है। कई बार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चुनाव लड़ने या पंचायत की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है तथा केवल आर्थिक रूप से सशक्त वर्गों का प्रभुत्व बढ़ सकता है। (बार्धन एवं मुखर्जी,[9] 2006)

राजनीतिक स्तर पर अनुभव की कमी, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्त जानकारी, स्थानीय शक्ति समूहों का प्रभाव तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी सहभागिता में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। अनेक ग्रामीण नागरिक पंचायतों के अधिकारों, कार्यों तथा योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं रखते, जिसके कारण वे निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी योगदान नहीं दे पाते। राजनीतिक जागरूकता की कमी लोकतांत्रिक सहभागिता को सीमित कर देती है। (जॉर्ज मैथ्यू,[4] 1994)

महिलाओं के संदर्भ में पंचायत सहभागिता की चुनौतियाँ और अधिक जटिल हैं। यद्यपि आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, फिर भी कई स्थानों पर वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथों में बनी रहती है। महिलाओं को सामाजिक स्वीकृति, नेतृत्व कौशल, राजनीतिक प्रशिक्षण तथा आत्मविश्वास से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पंचायतों में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को समझने के लिए इन बाधाओं का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। (बीना अग्रवाल,[7] 2001)

इस उद्देश्य के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान उत्तरदाताओं को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन समस्याओं की प्रकृति क्या है तथा वे पंचायतों की प्रभावशीलता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष पंचायतों में समावेशी सहभागिता को बढ़ावा देने तथा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपयोगी सुझाव प्रदान करेंगे।

**साहित्य समीक्षा**

**1. मैकिड, हेनरी (1963),**[1] हेनरी मैकिड ने लोकतंत्र, विकेन्द्रीकरण और विकास में यह प्रतिपादित किया कि लोकतांत्रिक शासन की सफलता स्थानीय स्तर पर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकेन्द्रीकरण केवल प्रशासनिक अधिकारों का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करने का माध्यम भी है। लेखक के अनुसार स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से विकास योजनाओं की प्रभावशीलता तभी बढ़ सकती है जब समाज के सभी वर्ग

समान रूप से भाग लें। यह अध्ययन पंचायती राज में नागरिक सहभागिता की सैद्धांतिक आधारभूमि प्रदान करता है।

**2. अल्तेकर, ए. एस. (1958),**[2] अल्तेकर ने प्राचीन भारत में राज्य एवं शासन व्यवस्था में प्राचीन भारतीय ग्राम प्रशासन की परंपरा का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाएँ स्थानीय प्रशासन, न्याय तथा सामुदायिक निर्णयों का प्रमुख केंद्र थीं। यद्यपि आधुनिक पंचायती राज की संरचना भिन्न है, फिर भी यह अध्ययन स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक जड़ों को समझने में सहायक है तथा यह दर्शाता है कि नागरिक सहभागिता भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रही है।

**3. मेहता, बलवंत राय (1957),**[3] बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा करते हुए ग्राम सभा को लोकतंत्र की मूल इकाई माना। रिपोर्ट में नागरिक सहभागिता को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता का प्रमुख आधार बताया गया। इस अध्ययन ने विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता तथा उत्तरदायित्व की अवधारणाओं को संस्थागत रूप प्रदान किया।

**4. राव, जी. वी. के. (1985),**[11] जी. वी. के. राव समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में नौकरशाही के अत्यधिक प्रभुत्व की आलोचना की तथा पंचायती राज संस्थाओं को विकास प्रशासन का केंद्रीय आधार बनाने की अनुशंसा की। समिति के अनुसार स्थानीय विकास तभी प्रभावी होगा जब नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और पंचायतों को पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हों।

**5.सिंहवी, एल. एम. (1986),**[12] एल. एम. सिंहवी समिति ने ग्राम सभा को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आत्मा माना तथा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। समिति ने सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता को स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए अनिवार्य बताया। इस रिपोर्ट ने आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन का आधार तैयार किया।

**6. डाहल, रॉबर्ट ए. (1989),**[13] रॉबर्ट ए. डाहल ने लोकतंत्र और उसके आलोचक में सहभागितामूलक लोकतंत्र की अवधारणा का विस्तार किया। उन्होंने लोकतंत्र में समान राजनीतिक अवसर, सूचना तक पहुँच और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक माना। यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण पंचायती राज में नागरिक सहभागिता की गुणवत्ता को समझने में उपयोगी है।

**7. भारत सरकार (1992),**[14] भारत सरकार द्वारा पारित 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ग्राम सभा को वैधानिक मान्यता मिली तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इससे नागरिक सहभागिता को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ, यद्यपि व्यवहारिक स्तर पर अनेक सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ बनी रहीं।

**8. मैथ्यू, जॉर्ज (1994),**[4] जॉर्ज मैथ्यू ने पंचायती राजरू विधान से जनआंदोलन तक में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं के व्यावहारिक अनुभवों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामाजिक असमानता, जातिगत वर्चस्व, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जागरूकता की कमी नागरिक सहभागिता में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेखक ने ग्राम सभा की सक्रियता को लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना।

**9. क्रूक, रिचर्ड सी. एवं मैनर, जेम्स (1998),**[5] क्रूक और मैनर ने दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके अनुसार विकेन्द्रीकरण तभी प्रभावी होता है जब स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक अधिकार, संसाधन तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल संस्थागत सुधार पर्याप्त नहीं हैंय सामाजिक समानता और नागरिक जागरूकता भी आवश्यक है।

**10. बुच, निर्मला (2000),**[8] निर्मला बुच ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन करते हुए पाया कि आरक्षण के कारण महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति बढ़ी है, किन्तु सामाजिक रूढ़िवादिता, शिक्षा का अभाव तथा आर्थिक निर्भरता उनकी प्रभावी सहभागिता में बाधक हैं। उन्होंने क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण को महिला सशक्तिकरण का आवश्यक माध्यम बताया।

**11. अग्रवाल, बीना (2001),**[7] बीना अग्रवाल ने सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हैय वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति भी आवश्यक है। उन्होंने लैंगिक असमानता, सामाजिक बहिष्करण तथा संसाधनों पर असमान नियंत्रण को नागरिक सहभागिता की प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया।

**12. नारायण, दीपा (2005),**[10] दीपा नारायण ने सशक्तिकरण के बहुआयामी स्वरूप पर बल देते हुए बताया कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण परस्पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने सहभागिता को गरीबी उन्मूलन तथा स्थानीय विकास का प्रभावी साधन माना। उनका अध्ययन नागरिक सहभागिता के सामाजिक एवं आर्थिक आयामों को समझने में विशेष रूप से उपयोगी है।

**13. बर्धन, प्रदीप एवं मुखर्जी, दिलीप (2006),**[9] बर्धन और मुखर्जी ने विकासशील देशों में विकेन्द्रीकरण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करते हुए पाया कि स्थानीय निकायों की सफलता स्थानीय सामाजिक संरचना, वित्तीय संसाधनों तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी बताया कि गरीब एवं वंचित वर्गों की प्रभावी भागीदारी के बिना विकेन्द्रीकरण के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते।

**14. द्रेज, जीन एवं सेन, अमर्त्य (2013),**[15] द्रेज और सेन ने भारत में विकास एवं लोकतंत्र के संबंध का विश्लेषण करते हुए यह तर्क दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होती है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा जन-जागरूकता को स्थानीय शासन की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक माना। उनका अध्ययन नागरिक सहभागिता और मानव विकास के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है।

**15. दुबे, एस. सी. (2017),**[16] एस. सी. दुबे ने भारतीय ग्राम समाज की सामाजिक संरचना का विश्लेषण करते हुए बताया कि जाति, वर्ग, परंपराएँ तथा स्थानीय शक्ति संरचना ग्रामीण समाज में नागरिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं। उनके अनुसार ग्राम स्तर पर सामाजिक असमानताएँ पंचायतों की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सीमित करती हैं।

**16. यादव, के. सी. (2018),**[17] के. सी. यादव ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास, संरचना तथा कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया।

उन्होंने पंचायतों के समक्ष वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक सीमाएँ, क्षमता निर्माण की कमी तथा ग्राम सभा की निष्क्रियता जैसी समस्याओं को प्रमुख चुनौतियों के रूप में प्रस्तुत किया।

**17. सिंह, योगेन्द्र (2019),**[18] योगेन्द्र सिंह ने भारतीय समाज की संरचना एवं परिवर्तन का अध्ययन करते हुए सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण तथा लोकतंत्रीकरण की प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक असमानता, जातीय विभाजन तथा आर्थिक विषमता स्थानीय लोकतंत्र में समान नागरिक सहभागिता को प्रभावित करती है।

**18. कुमार, अरविन्द (2020),**[19] अरविन्द कुमार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के संबंधों का अध्ययन करते हुए बताया कि पंचायतों की प्रभावशीलता स्थानीय नेतृत्व, वित्तीय संसाधनों, नागरिक जागरूकता तथा सामाजिक सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने डिजिटल शासन, पारदर्शिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक माना।

**19. पंचायती राज मंत्रालय (2024),**[20] पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24 में पंचायतों के डिजिटलीकरण, e-GramSwaraj, Gram Manchitra, सामाजिक लेखा परीक्षा, वित्तीय प्रबंधन तथा ग्राम सभा की सक्रियता बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यद्यपि तकनीकी सुधारों से पारदर्शिता बढ़ी है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन, सामाजिक असमानता, सीमित जागरूकता तथा क्षमता निर्माण की कमी नागरिक सहभागिता के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

**अध्ययन क्षेत्र एवं शोध पद्धति–** मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। जनगणना के अनुसार जनपद का लिंगानुपात 886 है। जनपद की कुल साक्षरता दर 72.84 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.74 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 63.98 प्रतिशत है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद मेरठ तीन तहसीलों मेरठ, मवाना तथा सरधना में विभाजित है। जनपद में कुल 12 विकास खण्ड हैं, जिनमें मेरठ, रजपुरा, खरखौदा, जानी, रोहटा, मवाना कलाँ, परीक्षितगढ़, माछरा, हस्तिनापुर, सरधना, दौराला तथा सरूरपुर खुर्द सम्मिलित हैं। इन 12 विकास खण्डों में वर्तमान समय में कुल 479 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जनपद मेरठ को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया। जनपद की 479 ग्राम पंचायतों में से केवल उन ग्राम पंचायतों का चयन किया गया, जिनमें वर्तमान समय में महिला ग्राम प्रधान निर्वाचित हैं। इन महिला ग्राम प्रधानों का चयन अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया।

इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रारूप का उपयोग किया गया है। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनके अनुभवों तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है, जबकि वर्णनात्मक शोध प्रारूप के माध्यम से महिला ग्राम प्रधानों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा पंचायत संचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन प्रविधि का प्रयोग किया गया। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से महिला ग्राम प्रधानों से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त की गई, जबकि अवलोकन प्रविधि के माध्यम से पंचायत की कार्यप्रणाली, बैठकों, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया तथा स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन किया गया।

द्वितीयक आँकड़ों के लिए पुस्तकों, शोध–पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों, जनगणना रिपोर्टों, पंचायती राज विभाग के प्रकाशनों तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का उपयोग किया गया। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी ने अध्ययन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अध्ययन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्राथमिक आँकड़ों का संकलन शोधकर्ता द्वारा स्वयं किया गया। एकत्रित आँकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण तथा विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों की सहायता से किया गया। आँकड़ों को विभिन्न तालिकाओं एवं प्रतिशतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे अध्ययन के निष्कर्षों को अधिक स्पष्ट एवं वैज्ञानिक रूप से समझा जा सके। आवश्यकता पड़ने पर आँकड़ों के विश्लेषण में संगणकीय सहायता का भी उपयोग किया गया।

संकलित आँकड़ों के व्यवस्थित विश्लेषण एवं व्याख्या के उपरांत ही निष्कर्षों का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत निष्कर्ष पंचायतों में महिलाओं की भूमिका, उनकी सहभागिता, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया तथा उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

**समाजशास्त्रीय सैद्धान्तिक आधार**

**संरचनात्मक–प्रकार्यात्मक सिद्धान्त** –संरचनात्मक–प्रकार्यात्मक सिद्धान्त के अनुसार समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मिलकर बना एक संगठित तंत्र है, जिसमें प्रत्येक संस्था समाज की स्थिरता एवं संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। एमिल दुर्खीम (1893)[21] ने समाज को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में देखते हुए सामाजिक एकता पर बल दिया, जबकि टालकॉट पार्सन्स (1951)[22] ने समाज को परस्पर निर्भर संस्थाओं की व्यवस्था बताया। रॉबर्ट के. मर्टन (1968)[23] ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक सामाजिक संस्था के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार्य होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भी एक महत्तवपूर्ण सामाजिक संस्था है, जो स्थानीय प्रशासन, विकास तथा नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करती है। इसलिए यह सिद्धान्त वर्तमान अध्ययन में नागरिक सहभागिता तथा पंचायतों की कार्यप्रणाली को समझने का आधार प्रदान करता है।

**संघर्ष सिद्धान्त–**संघर्ष सिद्धान्त के अनुसार समाज में शक्ति, संसाधनों तथा अवसरों का असमान वितरण सामाजिक असमानता और संघर्ष को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स (1867)[24] ने स्पष्ट किया कि समाज में आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग सत्ता पर भी प्रभुत्व स्थापित करता है। इसी प्रकार राल्फ डाहरेनडॉर्फ (1959)[25] ने अधिकार एवं सत्ता के असमान वितरण को सामाजिक संघर्ष का प्रमुख कारण माना। पंचायती राज व्यवस्था में भी जाति, वर्ग, लिंग तथा आर्थिक असमानताएँ नागरिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं, जिससे वंचित वर्गों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सीमित हो जाती है। अत: यह सिद्धान्त नागरिक सहभागिता की सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों के विश्लेषण में उपयोगी है।

**प्रतीकात्मक अंत:क्रियावाद सिद्धान्त**–प्रतीकात्मक अंत:क्रियावाद के

अनुसार समाज का निर्माण व्यक्तियों के बीच होने वाली सामाजिक अंत:क्रियाओं एवं संचार के माध्यम से होता है। जॉर्ज हरबर्ट मीड (1934)[26] ने बताया कि व्यक्ति सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपने व्यवहार एवं दृष्टिकोण का निर्माण करता है। आगे हरबर्ट ब्लूमर (1969)[27] ने इस विचार को विकसित करते हुए कहा कि सामाजिक व्यवहार का आधार व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों को दिए गए अर्थ होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा, बैठकों तथा सामुदायिक संवाद के माध्यम से नागरिक विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और स्थानीय निर्णयों में भाग लेते हैं। इसलिए यह सिद्धान्त नागरिक सहभागिता में संवाद, विश्वास तथा सामाजिक संबंधों की भूमिका को स्पष्ट करता है।

**सामाजिक विनिमय सिद्धान्त**–सामाजिक विनिमय सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति किसी सामाजिक गतिविधि में तभी भाग लेता है, जब उसे उससे लाभ, सम्मान अथवा संतुष्टि प्राप्त होने की संभावना होती है। जॉर्ज सी. होमन्स (1961)[28] ने सामाजिक व्यवहार को पुरस्कार एवं लागत के आधार पर समझाया, जबकि पीटर ब्लाउ (1964)[29] ने सामाजिक संबंधों में पारस्परिक लाभ एवं विश्वास के महत्व पर बल दिया। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में यदि नागरिकों को विश्वास होता है कि उनकी भागीदारी से विकास कार्यों में सुधार होगा तथा उनकी समस्याओं का समाधान होगा, तो वे पंचायत की गतिविधियों में अधिक सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार यह सिद्धान्त नागरिक सहभागिता के व्यवहारगत पक्ष को समझने में सहायक है।

**सशक्तिकरण सिद्धान्त**–सशक्तिकरण सिद्धान्त का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने, संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने तथा अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाना है। पाउलो फ्रेरे (1970)[30] ने शिक्षा एवं चेतना के माध्यम से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने पर बल दिया। इसी क्रम में दीपा नारायण (2005)[31] ने सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भागीदारी से जोड़ा तथा इसे विकास का आधार माना। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित वर्गों को संवैधानिक अवसर प्रदान किए गए हैं। यह सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक समर्थन के बिना प्रभावी नागरिक सहभागिता संभव नहीं है।

**सारणी 1:उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि**

| क्र. | चर (Variable) | श्रेणी | आवृत्ति (f) | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लिंग | पुरुष | 104 | 52.0 |
| | | महिला | 96 | 48.0 |
| | | कुल | 200 | 100.0 |
| 2 | आयु | 18–30 वर्ष | 38 | 19.0 |
| | | 31–45 वर्ष | 74 | 37.0 |
| | | 46–60 वर्ष | 58 | 29.0 |
| | | 60 वर्ष से अधिक | 30 | 15.0 |
| 3 | वैवाहिक स्थिति | विवाहित | 162 | 81.0 |
| | | अविवाहित | 24 | 12.0 |
| | | विधवा/विधुर | 14 | 7.0 |
| 4 | शिक्षा | अशिक्षित | 32 | 16.0 |
| | | प्राथमिक | 48 | 24.0 |
| | | माध्यमिक | 72 | 36.0 |
| | | स्नातक एवं अधिक | 48 | 24.0 |
| 5 | जाति | अनुसूचित जाति | 42 | 21.0 |
| | | अन्य पिछड़ा वर्ग | 96 | 48.0 |
| | | सामान्य | 62 | 31.0 |
| 6 | परिवार का प्रकार | एकल परिवार | 88 | 44.0 |
| | | संयुक्त परिवार | 112 | 56.0 |
| 7 | मुख्य व्यवसाय | कृषि | 78 | 39.0 |
| | | मजदूरी | 52 | 26.0 |
| | | व्यवसाय | 34 | 17.0 |
| | | सेवा | 36 | 18.0 |
| 8 | मासिक पारिवारिक आय | रू15,000 | 72 | 36.0 |
| | | रू15,001–30,000 | 68 | 34.0 |
| | | रू30,001–50,000 | 42 | 21.0 |
| | | रू50,000 से अधिक | 18 | 9.0 |
| 9 | भूमि स्वामित्व | भूमिहीन | 44 | 22.0 |
| | | 1 एकड़ तक | 78 | 39.0 |
| | | 1–3 एकड़ | 52 | 26.0 |
| | | 3 एकड़ से अधिक | 26 | 13.0 |
| 10 | पंचायत गतिविधियों में सहभागिता | नियमित | 84 | 42.0 |
| | | कभी-कभी | 76 | 38.0 |
| | | बहुत कम | 40 | 20.0 |

अध्ययन में कुल 200 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया, जिनमें 104 (52.0%) पुरुष तथा 96 (48.0%) महिलाएँ थीं। अधिकांश उत्तरदाता 31–45 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित थे। शिक्षा के स्तर पर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक पाई गई। जातिगत आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (48.0%) का प्रतिनिधित्व अधिक था। अधिकांश उत्तरदाता संयुक्त परिवारों से संबंधित थे तथा कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय था। आर्थिक दृष्टि से अधिकांश परिवारों की मासिक आय रू30,000 से कम पाई गई। पंचायत गतिविधियों में 42 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से भाग लेते थे, जबकि 38 प्रतिशत कभी-कभी सहभागिता करते थे। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षा, आय तथा भूमि स्वामित्व जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक पंचायत सहभागिता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

**सारणी 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)**

सारणी 2 से स्पष्ट होता है कि पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान उत्तरदाताओं को अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सर्वाधिक 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक संसाधनों की कमी को प्रमुख बाधा बताया, जबकि 64 प्रतिशत ने चुनावी खर्च वहन करने में कठिनाई व्यक्त की। 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक अनुभव के अभाव को महत्वपूर्ण चुनौती माना। इसके अतिरिक्त 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पंचायत कार्यों की जानकारी के अभाव तथा 57 प्रतिशत ने सरकारी योजनाओं एवं नियमों की अपर्याप्त जानकारी को सहभागिता में बाधक बताया। महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह (56%), स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव (53%) तथा पंचायत बैठकों में अपनी बात रखने में कठिनाई (48%) भी महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में सामने आईं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पंचायतों में

प्रभावी एवं समावेशी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम तथा सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है।

**निष्कर्ष –** प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना तथा पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान उनके समक्ष आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना था। अध्ययन में कुल 200 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया, जिनमें 96 महिलाएँ तथा 104 पुरुष शामिल थे। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतों में सहभागिता केवल संवैधानिक अधिकारों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से भी गहराई से प्रभावित होती है।

अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित थे तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पंचायत गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती थी। शिक्षा, आय, व्यवसाय, भूमि स्वामित्व तथा पारिवारिक संरचना जैसे कारकों का पंचायत सहभागिता से प्रत्यक्ष संबंध पाया गया। अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित तथा आर्थिक रूप से सशक्त उत्तरदाता पंचायत की बैठकों, विकास योजनाओं एवं निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते पाए गए। इसके विपरीत निम्न आय वर्ग तथा कम शिक्षित उत्तरदाताओं की सहभागिता अपेक्षाकृत कम देखी गई।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि पंचायत में प्रवेश एवं प्रभावी सहभागिता के मार्ग में अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं। आर्थिक संसाधनों की कमी, चुनावी व्यय का दबाव, राजनीतिक अनुभव का अभाव तथा सरकारी योजनाओं एवं पंचायत कार्यप्रणाली के संबंध में अपर्याप्त जानकारी प्रमुख चुनौतियों के रूप में सामने आईं। इसके अतिरिक्त सामाजिक पूर्वाग्रह, जातिगत असमानता, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव तथा पारिवारिक सहयोग की कमी भी पंचायत सहभागिता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक पाए गए।

महिला उत्तरदाताओं के संदर्भ में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण दिखाई दी। यद्यपि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, फिर भी उन्हें सामाजिक रूढ़ियों, पारिवारिक नियंत्रण, सीमित राजनीतिक अनुभव तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में कम स्वीकार्यता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं की वास्तविक एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक एवं संस्थागत समर्थन भी आवश्यक है।

अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि पंचायतों को अधिक प्रभावी एवं समावेशी बनाने के लिए नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता, प्रशासनिक जानकारी तथा नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इससे न केवल पंचायतों में उनकी सहभागिता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र भी अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बन सकेगा।

अत: निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि पंचायतें ग्रामीण लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, किंतु उनकी प्रभावशीलता नागरिकों की सक्रिय एवं समान भागीदारी पर निर्भर करती है। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करके तथा सहभागिता में आने वाली बाधाओं को दूर करके ही पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सामाजिक न्याय एवं समावेशी ग्रामीण विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम तथा सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :–**

1. मैडिक, हेनरी (1963). 'लोकतंत्र, विकेन्द्रीकरण और विकास' लंदन एशिया पब्लिशिंग हाउस।
2. अल्तेकर, ए. एस. (1958). 'प्राचीन भारत में राज्य एवं शासन व्यवस्था' दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास।
3. मेहता, बलवंत राय (1957). 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा अध्ययन दल की रिपोर्ट' नई दिल्ली भारत सरकार।
4. मैथ्यू, जॉर्ज (1994). 'पंचायती राज : विधान से जनआंदोलन तक' नई दिल्ली कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।
5. क्रूक, रिचर्ड सी. एवं मैनर, जेम्स (1998). 'दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एवं विकेन्द्रीकरण' कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।
6. श्रीनिवास, एम. एन. (1966). 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' नई दिल्ली ओरिएंट लॉन्गमैन।
7. अग्रवाल, बीना (2001). 'सामुदायिक वानिकी, सहभागिता एवं लैंगिक असमानता का अध्ययन' नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. बुच, निर्मला (2000). 'पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन' नई दिल्ली महिला विकास अध्ययन केन्द्र।
9. बार्धन, प्रदीप एवं मुखर्जी, दिलीप (2006). 'विकासशील देशों में विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय शासन' कैम्ब्रिज एम.आई.टी. प्रेस।
10. नारायण, दीपा (2005). 'सशक्तिकरण का मापन बहुविषयक दृष्टिकोण' वाशिंगटन डी.सी. विश्व बैंक प्रकाशन।
11. राव, जी. वी. के. (1985). 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर समिति प्रतिवेदन' नई दिल्ली भारत सरकार।
12. सिंहवी, एल. एम. (1986). 'लोकतंत्र एवं विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन संबंधी समिति प्रतिवेदन' नई दिल्ली भारत सरकार।
13. डाहल, रॉबर्ट ए. (1989). 'लोकतंत्र और उसके आलोचक' न्यू हेवन येल विश्वविद्यालय प्रेस।
14. भारत सरकार (1992). 'भारतीय संविधान का 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम' नई दिल्ली भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
15. द्रेज, जीन एवं सेन, अमर्त्य (2013). 'भारत की चुनौतियाँ एवं विकास की दिशा' नई दिल्ली पेंगुइन प्रकाशन।
16. दुबे, एस. सी. (2017). 'भारतीय ग्राम' नई दिल्ली राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
17. यादव, के. सी. (2018). 'भारत में पंचायती राज व्यवस्था' नई दिल्ली रावत पब्लिकेशन्स।
18. सिंह, योगेन्द्र (2019). 'भारतीय समाज : संरचना एवं परिवर्तन' नई दिल्ली रावत पब्लिकेशन्स।
19. कुमार, अरविन्द (2020). 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज' नई दिल्ली ओरिएंट ब्लैकस्वान।

20. पंचायती राज मंत्रालय (2024). 'वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24' नई दिल्ली भारत सरकार।
21. दुर्खीम, एमिल. (1893). 'समाज में श्रम विभाजन' पेरिस फेलिक्स अल्कान।
22. पार्सन्स, टालकॉट. (1951). 'सामाजिक व्यवस्था' न्यूयॉर्क द फ्री प्रेस।
23. मर्टन, रॉबर्ट के. (1968). 'सामाजिक सिद्धान्त एवं सामाजिक संरचना' न्यूयॉर्क द फ्री प्रेस।
24. मार्क्स, कार्ल. (1867). 'दास कैपिटल (प्रथम खण्ड)' हैम्बर्ग ओटो माइसनर प्रकाशन।
25. डाहरेनडॉर्फ, राल्फ. (1959). 'औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष' लंदन रूटलेज एंड केगन पॉल।
26. मीड, जॉर्ज हरबर्ट. (1934). 'मन, आत्म और समाज' शिकागो शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।
27. ब्लूमर, हरबर्ट. (1969). 'प्रतीकात्मक अंत:क्रियावाद दृष्टिकोण और पद्धति' एंगलवुड क्लिफ्स प्रेंटिस–हॉल।
28. होमन्स, जॉर्ज सी. (1961). 'सामाजिक व्यवहाररू इसके प्रारम्भिक रूप' न्यूयॉर्क हार्कोर्ट, ब्रेस एंड वर्ल्ड।
29. ब्लाउ, पीटर एम. (1964). 'विनिमय और सामाजिक जीवन में शक्ति' न्यूयॉर्क जॉन वाइली एंड संस।
30. फ्रेरे, पाउलो. (1970). 'पीड़ितों की शिक्षाशास्त्र' न्यूयॉर्क कंटिन्यूअम पब्लिशिंग।
31. नारायण, दीपा. (2005). 'सशक्तिकरण का मापन: अंत:विषयक दृष्टिकोण' वाशिंगटन, डी.सी. विश्व बैंक।

**सारणी 2: पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान आने वाली प्रमुख बाधाएँ**

| क्र. | बाधा/चुनौती | हाँ (f) | प्रतिशत (%) | नहीं (f) | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पंचायत कार्यों की जानकारी का अभाव | 118 | 59.0 | 82 | 41.0 |
| 2 | आर्थिक संसाधनों की कमी | 136 | 68.0 | 64 | 32.0 |
| 3 | चुनावी खर्च वहन करने में कठिनाई | 128 | 64.0 | 72 | 36.0 |
| 4 | परिवार का अपर्याप्त सहयोग | 92 | 46.0 | 108 | 54.0 |
| 5 | जातिगत भेदभाव का अनुभव | 84 | 42.0 | 116 | 58.0 |
| 6 | महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह | 112 | 56.0 | 88 | 44.0 |
| 7 | राजनीतिक अनुभव का अभाव | 122 | 61.0 | 78 | 39.0 |
| 8 | स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव | 106 | 53.0 | 94 | 47.0 |
| 9 | पंचायत बैठकों में अपनी बात रखने में कठिनाई | 96 | 48.0 | 104 | 52.0 |
| 10 | सरकारी योजनाओं एवं नियमों की जानकारी का अभाव | 114 | 57.0 | 86 | 43.0 |

**********